भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.787
(05 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा की मजदूरी के सूचकांकीकरण का संशोधन

787. श्री मल्लिकार्जुन खरगे

क्या ग्रामीण विकासमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डा . नागेश सिंह समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी सूचकांकीकरण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल) के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण (सीपीआई-आर) का उपयोग करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो व्यय विभाग को भेजे गए प्रस्ताव और प्राप्त अनुमोदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीपीआई-आर की ओर अंतरण, जो जुलाई 2019 में शुरू किया गया था, को बाद में छोड़ दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ 25.10.2021 को हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अन्य के साथ-साथ मजदूरी संशोधन हेतु उचित सूचकांक का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मनरेगा मजदूरी दरों के पुनरीक्षण एवं सूचकांकीकरण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रम (सीपीआई -एएल) के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण (सीपीआई-आर) का उपयोग किया जाए।

व्यय विभाग (डीओई) के परामर्श से प्रस्ताव की जाँच की गई थी। व्यय विभाग ने प्रस्ताव का समर्थन किया था और कहा था कि योजना के वित्तीय निहितार्थों में कोई भी परिवर्तन व्यय विभाग के दिनांक 05.08.2016 के का.ज्ञा.सं.24(35)/पीएफ-II/2012 के तहत जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

(ग) और (घ): समिति की उक्त सिफारिश को लागू करने के लिए आधार वर्ष के संशोधन के संबंध में आवश्यक जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से प्रतीक्षित है।

दिनांक 25.01.2021 को आयोजित बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सूचित किया था कि सीपीआई-आर के आधार वर्ष के संशोधन में कुछ समय लग सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया था कि सीपीआई-एएल के आधार वर्ष संशोधन का कार्य शीघ्र ही उपलब्ध होगा।

दिनांक 28.01.2025 के नवीनतम पत्राचार में एमओएसपीआई ने सूचित किया है कि सीपीआई आधार को 2012=100 से 2024=100 में संशोधित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और भारांक तथा संकलन पद्धति को अंतिम रूप देने पर वर्तमान में कार्य चल रहा है।